सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of orders regarding grant of DR to Uttarakhand pensioners.
Ref:- 1. Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen/UK/DR/2013-14/4761 Dt.12.02.2014

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून
(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248171)
फोन नं0: 0135–2644967, फैक्स नं0: 0135–2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"

पत्रांकः पी.ए./पेंशन/राहत/उत्तराखण्ड/ 2013–14/4761 दिनांकः 18-2-14

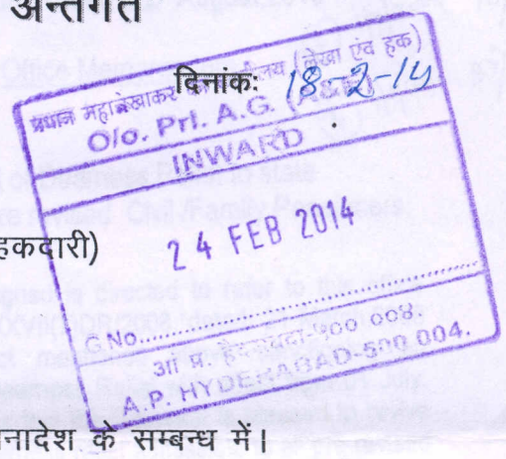

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

विषयः उत्तराखण्ड शासन के बढ़े मंहगाई भत्ते के शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के निम्नलिखित शासनादेशो को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके।

क्र0स0	शासनादेश संख्या	दिनांक	दर
1.	653/XXVII(7)म0रा/2010	20.08.2010	54%, 64%, 73%. 87%
2.	801/XXVII(7)म0रा/2010	24.12.2010	103%
3.	224/XXVII(7)02/2011	30.09.2011	115%
4.	16/XXVII(7)02/2012	21.01.2012	127%
5.	155/XXVII(7)02/2012	13.06.2012	139%
6.	565/XXVII(7)02/2013	06.06.2013	151%, 166%
7.	761/XXVII(7)02/2013	24.10.2013	183%

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 653 / XXVII(7)म0रा0 / 2010
देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/xxvii(7)पे0/2008 दिनांक 21 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 1–7–2008 से महंगाई राहत की एक किश्त 1–1–2008 से स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मार्च, 2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 1 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत, दिनांक 1–1–2009 से 64 प्रतिशत, दिनांक 1–7–1009 से 73 प्रतिशत तथा 1–1–2010 से 87 प्रतिशत की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में गणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-653 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated 20 August, 2010

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 19/XXVII(7)DR/2008, dated: 21 March, 2008 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2008 to 54%, dated 1-1-2009 to 64 %, dated 1-7-2009 to 73 % and dated 1-1-2010 to 87% in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 21 March, 2008 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary